फर्जी तरीके से आईएसआई मार्का लगाकर बेच रहे थे मिनरल वाटर, भरे सैंपल, रैपर जब्त किए

भारतीय मानक ब्यूरो भोपाल की टीम ने अनामय ड्रिंकिंग वाटर प्लांट पर मारा छापा

भास्कर संवाददाता | दतिया

अनामय ड्रिंकिंग वाटर कंपनी के प्लांट पर कार्रवाई करते बीआईएस अधिकारी।

गंजी हनुमान मंदिर के पीछे संचालित अनामय ड्रिंकिंग वाटर कंपनी द्वारा शहर में अवैध तरीके से आईएसआई मार्का लगाकर पानी सप्लाई किया जा रहा है। मिनरल वाटर की बोतल, पानी पाउच पर फर्जी आईएसआई मार्का लगाए जा रहे हैं। यह खुलासा भोपाल से आई बीआईएस (भारतीय मानक ब्यूरो) टीम ने किया। अनामय ड्रिंकिंग वाटर कंपनी का लायसेंस तीन महीने पहले ही एक्सपायर हो चुका है। इसके बाद भी फर्जी आईएसआई मार्का लगाकर पानी सप्लाई कर लोगों के स्वास्थ्य से सीधा खिलवाड़ किया जा रहा है। लोग आईएसआई मार्क लगा देखकर अनामय ड्रिंकिंग वाटर कंपनी के पानी पाउच और बोतल खरीदकर पानी पी रहे हैं लेकिन उन्हें यह नहीं पता कि जिस ड्रिंकिंग कंपनी का वे पानी पी रहे हैं वह उनके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक भी हो सकता है।

बता दें कि अनामय पैकिंग ड्रिंकिंग वाटर कंपनी कार्यालय पर अप्रैल 2014 में तत्कालीन एसडीएम कमलेश भार्गव ने मैसर्स अनामय गंगा पैकिंग ड्रिंकिंग सेंटर के प्लांट व कार्यालय पर छापा मारकर पानी के सैंपल लिए थे। कुछ दिनों बाद सैंपल जांच रिपोर्ट आई तो उसमें सैंपल फेल पाए गए थे। इसके बाद भी मैसर्स अनामय गंगा पैकिंग ड्रिंकिंग सेंटर के प्लांट पर पानी पाउच, बोतल में पानी पैकिंग और आरओ से पानी सप्लाई बंद नहीं हुई।

मैसर्स अनामय द्वारा भारतीय मानक ब्यूरो भोपाल से आईएसआई मार्का का लायसेंस लिया था जो कि तीन महीने पहले एक्सपायर हो चुका है। इसके बाद भी पानी सप्लाई अवैध तरीके से आईएसआई मार्का रैपर लगाकर किया जा रहा था। यह सूचना बीआईएस भोपाल को मिली तो वहां से एक अधिकारी को जांच के लिए भेजा गया। जांच में शिकायत सही पाई गई तो गुरुवार को बीआईएस के ईशांत द्विवेदी और अजय चंदेल सिविल लाइन पुलिस के साथ मैसर्स अनामय गंगा पैकिंग कार्यालय पर पहुंचे। उन्होंने 20 से 22 हजार फर्जी आईएसआई मार्का रैपर जब्त किए।

60 प्रतिशत लोग पी रहे आरओ का पानीः बता दें कि शहर में आरओ कैंपर के पानी की डिमांड बहुत ज्यादा है। तकरीबन छह हजार से ज्यादा लोग घर, दुकानों, कार्यालयों पर पानी के कैंपर किराए से मंगाते हैं। इसे नगर पालिका की ही मेहरबानी माना जा सकता है कि शहर में कैंपर से पानी सप्लाई का कारोबार तेजी से फलफूल रहा है। पहले जहां इक्का-दुक्का वाटरप्लांट हुआ करते थे, वहीं अब इनकी संख्या 18 से 20 पर पहुंच गई। हैरानी इस बात की है कि अधिकांश वाटर प्लांटों ने फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट में रजिस्ट्रेशन तक नहीं कराया।

अब कोर्ट केस करेंगे

हमें शिकायतें मिल रही थीं कि मैसर्स अनामय गंगा पैकिंग वाटर कार्यालय पर अवैध तरीके से आईएसआई मार्का लगाकर पानी बेचा जा रहा है। जबकि उनका लायसेंस दो-महीने पहले ही एक्सपायर हो चुका है। गुरुवार हमने पुनः अधिकारी भेजे थे। अब कोर्ट केस करेंगे। वहां से कुछ रैपर भी जब्त किए हैं।

प्रीति भटनागर, हैड, बीआईएस